कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Fax No. 2780290 PH. No. 2781556, 2780290
Website- www.res.uk.gov.in gmail:hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 150 /ग्रा0नि0वि0/निर्देश/2023–24 दिनांक 15/ अप्रैल 2023

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के आलोक में विभिन्न स्तर पर अधिप्राप्ति हेतु समितियों के गठन एवं निर्माण कार्यों की सामग्री एवं कार्यों की निविदाओं के सम्बन्ध में समय–समय पर इस कार्यालय से पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति/निर्देशों को अवक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसरण में निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1–विभाग के अन्तर्गत विभिन्न सक्षम स्तरों पर आवश्यकतानुसार क्रय की जाने वाली सामग्री के कोटेशन/निविदा प्राप्त करने/खोले जाने तथा निर्माण कार्यों की निविदायें (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) खोले जाने हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है।

क्रं0 सं0	निर्माण कार्यों हेतु	सामग्री क्रय करने हेतु
1	**मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)** (1) अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0), मुख्यालय अध्यक्ष (2) अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड सदस्य (3) प्रखण्डीय लेखाधिकारी प्रखण्ड देहरादून सदस्य	**मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)** (1) अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0), मुख्यालय अध्यक्ष (2) अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय सदस्य (3) लेखाधिकारी प्रखण्ड देहरादून सदस्य
2	**मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)** (1)मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), मुख्यालय अध्यक्ष (2) अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित परिमण्डल सदस्य (3) अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड सदस्य (4) प्रखण्डीय लेखाधिकारी प्रखण्ड नैनीताल सदस्य	**मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)** (1)मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), मुख्यालय अध्यक्ष (2) अधिशासी अभियन्ता/सहा0अभियन्ता (मु0) सदस्य (3) लेखाधिकारी प्रखण्ड नैनीताल सदस्य
3	**परिमण्डल स्तर पर** (1) अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित परिमण्डल अध्यक्ष (2) अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड सदस्य (3) परिमण्डल मुख्यालय के प्रखण्ड के लेखाधिकारी प्रखण्ड स्तर के सदस्य	**परिमण्डल स्तर पर** (1)अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित परिमण्डल–अध्यक्ष (2) सहायक अभियन्ता परि0 कार्यालय सदस्य (3)परि0 मुख्यालय के प्रखण्ड के लेखाधिकारी– सदस्य
4	**प्रखण्ड स्तर पर** (1) अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड अध्यक्ष (2) सहायक अभियन्ता सम्बन्धित उपखण्ड सदस्य (3) प्रखण्डीय लेखाधिकारी सदस्य	**प्रखण्ड स्तर पर** (1) अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड अध्यक्ष (2) सहायक अभियन्ता सम्बन्धित उपखण्ड सदस्य (3) प्रखण्डीय लेखाधिकारी सदस्य
5	**उपखण्ड स्तर पर** (1) सहायक अभियन्ता सम्बन्धित उपखण्ड अध्यक्ष (2) प्रखण्डीय लेखाधिकारी सदस्य (3) कनि0अभि0/अ0सहा0अभि0 सम्बन्धित सदस्य	

2– शासनादेश संख्या 5362/III(2)/21–75 (सामान्य) 2000 TC दिनांक 09.11.2021 द्वारा लोक निर्माण विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों, उनकी अधिकतम तय सीमा, निविदा हेतु समयावधि निर्धारण/समय सारणी आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये है, जिसके अनुसार ग्रामीण निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु निविदाओं के प्रकार एवं निविदाओं हेतु निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की जाती है :–

TO
TBD

(i) रू0 दो लाख स्वीकृत लागत से कम कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थिति के कार्य।
(ii) रू0 दो लाख स्वीकृत लागत से अधिक तथा रू0 25.00 लाख लागत के कार्य।
(iii) Online Tender (E-Tender) रू0 25.00 लाख से अधिक तथा रू0 150 लाख लागत के कार्य।
(iv) E-Tendering & Two Bid System रू0 150 लाख से अधिक लागत के कार्य (एस.बी.डी के अनुसार यथा संशोधित)

क0 सं0	मद	अल्पकालीन निविदा (दिवस/ कुल दिवस)	2 लाख तक स्वीकृत लागत के कार्य (दिवस/कुल दिवस)	25 लाख तक लागत के कार्य (दिवस/ कुल दिवस)	25 लाख से अधिक तथा 150 लाख तक लागत के कार्य (दिवस/ कुल दिवस)	150 लाख से अधिक लागत के कार्य	
						सामान्य (दिवस/ कुल दिवस)	ई0पी0सी0 (दिवस/ कुल दिवस)
	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्य स्वीकृति के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना	2/2	5/5	10/10	20/20	30/30	30/30
2	तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त बिड डॉक्यूमेन्ट तैयार करना	1/3	3/8	5/15	10/30	15/45	30/60
3	निविदा आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशन हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को भेजना	NA	NA	7/22	7/37	7/52	7/67
4	निविदा बेचने की अंतिम तिथि प्री बिड मीटिंग Issue of Correction/ Classification	7/10	7/15	15/37	15/52	15/67	15/82
5	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	7/17	7/22	15/52	15/67	20/87	20/102
6	टेक्निकल बिड को खोलना	NA	NA	NA	NA	1/88	1/103
7	बिड का तकनीकी मूल्यांकन	NA	NA	NA	NA	15/103	15/118
8	तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त तकनीकी मूल्यांकन आख्या को अपलोड करना	NA	NA	NA	NA	3/106	3/121
9	प्राइस बिड को खोलना	1/18	1/23	1/53	1/68	1/107	1/122
10	न्यूनतम निविदादाता की प्राइस बिड स्वीकृत करना/ स्वीकृत पत्र अपलोड करना	2/20	2/25	3/56	3/71	3/110	3/125
11	अनुबन्ध गठन हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु	7/35	7/40	7/63	15/86	15/125	15/140
12	अनुबन्ध से सफल बिडर द्वारा हस्ताक्षर करना तथा अनुबन्ध पंजीकृत करना	2/37	2/42	3/66	5/91	15/140	15/155
	कुल दिवस	**37**	**42**	**66**	**91**	**140**	**155**

उपरोक्त दिवस का तात्पर्य कार्य दिवस है।

TO
7/5/7

Scanned with OKEN Scanner

कार्य को पूर्ण करने की अवधि निर्धारित करने हेतु समय सारिणी :–

क्र0 सं0	कार्य	कार्य की लागत	अवधि	
			चमोली, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, पौडी, अल्मोडा, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल	उधमसिंहनगर, देहरादून हरिद्वार
1	2	3	4	5
1	भवन/मार्ग कार्य	2.00 लाख तक स्वीकृत लागत/अपरिहार्य कार्य	3 माह	2 माह
		25 लाख तक लागत के कार्य	9 माह	6 माह
		25 लाख से 150 लाख लागत के कार्य	12 माह	9 माह
		150 लाख से 300 लाख लागत के कार्य	15 माह	12 माह
		300 लाख से अधिक लागत के कार्य	18 माह	15 माह
2	सेतु कार्य	2.00 लाख तक स्वीकृत लागत/अपरिहार्य कार्य	3 माह	2 माह
		25 लाख तक लागत के कार्य	9 माह	6 माह
		25 लाख से 150 लाख लागत के कार्य	12 माह	9 माह
		150 लाख से 300 लाख लागत के कार्य	15 माह	12 माह
		300 लाख से अधिक लागत के कार्य	18 माह	15 माह

उपरोक्त समय सीमा–सामान्य कार्यों हेतु आंकलित की गयी है। विशेष परिस्थिति में कार्य के लिये Project Management Software से आंकलित कर वास्तविक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। उपरोक्त अवधि में सामान्य वर्षा ऋतु एवं सामान्य शरद ऋतु को सम्मिलित किया गया है।

3– रू0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के सन्दर्भ में अपनाई जा रही ई–प्रोक्योरमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया हेतु Standard Bidding Document लागू किया जायेगा।

4– रू0 1.50 करोड से अधिक की निविदाओं में टेक्निकल बिड एवं प्राइस बिड के मध्य तीन कार्य दिवसों का अन्तराल रखा जाये ताकि निविदादाताओं को आपत्ति दर्ज करने हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।

5– रू0 1.50 करोड़ से कम लागत के कार्यों हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार होंगी :–

a– उपरोक्त कार्यों हेतु निर्धारित श्रेणी के इस विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने के पात्र होगें।

b– सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो, को स्वीकार नही किया जायेगा।

c– ई–निविदा प्रपत्र वैबसाईट www.uktenders.gov.in पर दिनांक.......................को.................बजे से दिनांक......................को...................बजे तक उपलब्ध रहेगें तथा निविदा उक्त वैबसाईट से download कर प्राप्त की जा सकती है। उक्त ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए ठेकेदार के पास आंकिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) होना आवश्यक है, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाये जा सकते है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपरोक्त वैबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

d– धरोहर धनराशि 25.00 लाख तक के कार्य हेतु 3 प्रतिशत एवं इससे अधिक लागत हेतु 2 प्रतिशत पर न्यूनतम 75000.00 धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर की सावधि पासबुक/सूचीबद्ध बैंक की एफ0डी0आर0 जो कि अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड........................के नाम बन्धक हो, मान्य होगी।

e– निविदा हेतु मदवार (Item wise) दरें ही मान्य होगी, जो अंको व शब्दों में स्पष्ट अंकित होनी चाहिए एवं उक्त मदवार दरें अन्य सभी करों सहित परन्तु बिना जी0एस0टी0 के होनी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

f– किसी एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

g– निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक.........................से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड कार्यालय ....से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर समस्त जानकारी एकत्र कर लेवें।

h– निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की लागत एंव जी0एस0टी0 मूल्य का पृथक–2 ई–चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक .... एवं जी.एस.टी (CGST+SGST) जी.एस.टी नम्बर .... में जमा कर, ई–चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। निविदा प्रपत्र मूल्य के ई–चालान में सम्बन्धित कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

i– निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से कम प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या–770/III (2) I7-20 (सा0)/2011 दिनांक 12.06.2017 तथा समय–समय पर जारी/संशोधित शासनादेशों के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

j– पी0डब्लू0डी0 में प्रचलित शासनादेश संख्या–120/III (2) 2014/20 (सामान्य)/2011 दिनांक 08.01.2014 तथा समय–समय पर जारी/संशोधित जी0पी0डब्लू0–9 की शर्तें जैसे डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियड, माइल स्टोन आदि अन्य प्राविधान लागू होगें।

k– समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आयकर/रायल्टी/सैस एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से की जायेंगी।

l– यदि शासन/ग्राहक विभाग द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पड़ेगा एवं ठेकेदार, किये गये कार्य के लिए ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नही होगा।

m– निविदा स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित कराना होगा। ठेकेदार द्वारा अकारण विलम्ब करने की स्थिति में विभाग द्वारा जमानत धनराशि जब्त भी की जा सकती है।

n– कार्य का अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात ठेकेदार/फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय मानकों, विशिष्टियों के अनुसार एवं अधिशासी अभियन्ता/वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

o– निर्माण कार्य हेतु धनराशि किस्तों में प्राप्त होने की दशा में कार्य हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग होने व 04 माह उपरान्त भी शेष धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार अपने अनुबन्ध को अन्तिमीकरण करावाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

p– उक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ग्राहक विभाग से एम0ओ0यू0 किया गया है, जिसमें कार्यों के पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है। अतः अनुबन्धकर्ता ठेकेदार/फर्म द्वारा यदि कार्य समय से पूर्ण नही किया जाता है तो निर्धारित अर्थदण्ड की नियमानुसार वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

q– कार्य पर विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र जनपद..................................होगा।

r– ई–निविदा में प्रतिभाग पर वैबसाईट में तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि निर्धारित तिथि को सर्वर में खराबी अथवा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा नही खोली गयी तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

s– निविदादाता को दिनांक.................को..............बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निम्न प्रपत्रों को (क0सं0 A से J तक) मूल रूप में उपलब्ध कराना/टैन्डर बाक्स में डालना अनिवार्य है।

TB
7.8.17

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त कमांक–S हेतु प्रपत्रों का विवरण :–

(A) धरोहर धनराशि जो अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड.............................के नाम बन्धक।

(B) निविदा प्रपत्र की लागत एवं जी0एस0टी0 मूल्य का पृथक–2 ई–चालान की प्रतियां।

(C) निविदा में दी गई दरों की वैधता हेतु 100.00 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 का रेवेन्यू टिकट मय हस्ताक्षर घोषणा पत्र (प्रारूप–1)

(D) निविदा हेतु दिये गये समस्त प्रपत्रों की सत्यता (Correctness of information) हेतु 100.00 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी युक्त शपथ–पत्र (प्रारूप–2)

(E) विभाग में पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रति।

(F) निर्धारित पैन कार्ड की प्रति।

(G) जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन की प्रति।

(H) पावर ऑफ एटोर्नी (यदि लागू हो)।

(I) पार्टनशिप डीड (यदि लागू हो)।

(J) वर्तमान में इस विभाग में चल रहे कार्यो का विवरण निम्न प्रारुप में देना अनिवार्य होगा।

क0स0	अनुबन्ध सं0 व दिनांक	कार्य का नाम	अनुबन्ध की धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	अब तक किये गये भुगतान की धनराशि

6– समस्त अधिप्राप्तियां उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं उत्तराखण्ड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018) तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार। //ई–मेल द्वारा//

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2–मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, स्थित (भीमताल), नैनीताल।

3–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

4–समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

5–कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) हेतु गठित समितियों के सदस्यगण।

6–श्रीमती प्रियंका चौहान कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

15/4/23

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप–1

(प्रारुप 100.00 के स्टाम्प पर रु0 1.00 के रसीदी टिकट सहित)

....

घोषणा पत्र

समक्षः– श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल/प्रखण्ड ....
.

कार्य का नाम ....

मै. .... पुत्र .... निवासी......................
.... निम्न कथन एतद् द्वारा घोषणा करता हूँः–

1. यह कि उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि मैं उपरोक्त फर्म का प्रोपराईटर/पावर ऑफ एटोर्नी प्राप्त अधिकृत पार्टनर हूँ।
3. यह कि उपरोक्त कार्य की निविदा में जो फर्म द्वारा/मेरे द्वारा दरें दी गयी है उनकी वैद्यता .... दिन मुझे मान्य है, और इस वैद्यता अवधि तक फर्म द्वारा/मेरे द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने को बाध्य हूँ अन्यथा मेरी जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाय।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म
(एक रु0 के रसीदी टिकट पर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप–2

(प्रारुप 100.00 के स्टाम्प पर नोटरी सहित)

....

शपथ पत्र

समक्ष :– श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल/प्रखण्ड ....

कार्य का नाम ....

मै. .... पुत्र .... निवासी.....................

.... निम्न कथन शपथ पूर्वक बयान करता हूँ:–

1. यह कि मुझ शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही व सत्य है।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता के द्वारा जो धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट एवं सभी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये है, वह सभी सही व सत्य हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यह कि उपरोक्त लिखे गये कथन सही व सत्य है, जिनकी मैं शपथकर्ता पुष्टि करता हूँ। यदि कोई तथ्य गलत पाये जाते हैं, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी।

दिनांक ....

हस्ताक्षर/शपथकर्ता

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ के पैरा नं0 01 से 03 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है और मैं समझबूझ कर अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

नोटरी

हस्ताक्षर/शपथकर्ता

Scanned with OKEN Scanner